



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना

पात्रता

- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- 1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय वाले परिवार।
- विधवा/तलाकशुदा महिला स्वयं के पुनर्विवाह हेतु भी अनुदान प्राप्त कर सकती है बशर्ते वह स्कीम की अन्य शर्तें पूरी करती हो और उसने अपनी शादी हेतु पहले अनुदान न लिया हो।
- शादी की तिथि को वधू की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ

- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोगों की (1.80 लाख लड़कियों की शादी रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) 71,000/-
- समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा/अनाथ/बेसहारा औरतों तथा बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों व उनकी लड़कियों की शादी हेतु (1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) 51,000/-
- महिला खिलाड़ी किसी भी आय वर्ग को उनकी स्वयं की शादी हेतु (1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय) 41,000/-
- सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु तथा समाज की सभी वर्गों की लड़कियों की शादी हेतु (अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग सहित) 1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय वाले परिवार 41,000/-
- 40 प्रतिशत दिव्यांग (1.80 लाख रुपये हो या इस से कम वार्षिक आय)
 1. यदि जोड़े में से (पति पत्नी) दोनों दिव्यांग हो तो 51,000/-
 2. यदि जोड़े में से (पति या पत्नी) कोई एक दिव्यांग हो तो 41,000/-



अंत्योदय सरल



आवश्यक दस्तावेज़

- वर/वधू की जन्म तिथि का प्रमाण ।
- जाति का प्रमाण ।
- रिहायसी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति ।
- आधार लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति ।
- राशन कार्ड की फोटो प्रति दोनों साइड से ।
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड ।
- लड़की व लड़के का आधार कार्ड की प्रति ।
- आय का प्रमाण पत्र
- लड़का व लड़की की फोटो ।
- शादी का कार्ड ।
- मृत्यु प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विधवा है तो ।
- माता व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति यदि लड़की अनाथ हो ।
- मैडिकल प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विकलांग हो तो ।

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	₹ 10 / -	₹ 10 / -

सेवा का अधिकार समय सीमा: 30 दिन